

प्रेषक,


सचिव,  
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,  
हरिद्वार।

1542

1517

सेवा में,

सचिव,  
संघ लोक सेवा आयोग,  
धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड,  
नई दिल्ली-110069।



दिनांक : हरिद्वार 30 जनवरी, 2015

विषय : सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा-2012 के अभ्यर्थी श्री अविनाश कुमार सिंह (अनुक्रमांक 693668) को प्रतिवारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012 का आयोजन दिनांक 30 नवम्बर, 2014 को किया गया था। उक्त परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र विशम्भर सहाय ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट सॉलियर, देहरादून हाईवे, रुडकी (केन्द्र कोड-202) के कक्ष सं0-402 में उपस्थित अभ्यर्थी श्री अविनाश कुमार सिंह अनुक्रमांक 693668 द्वारा प्रथम प्रश्नपत्र के लीक होने की अफवाह फैलाकर अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में अभ्यर्थी श्री अविनाश को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 19.12.2014 को प्रस्तुत किया। नोडल अधिकारी (परीक्षा)/उप-जिलाधिकारी, रुडकी की जांच आख्या तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध दर्ज करायी गयी प्राथमिक एवं अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मा0 आयोग द्वारा निम्नवत् उक्त अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा सहित आयोग की समस्त परीक्षाओं से अगामी 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया गया है-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	प्रतिवारित अवधि	प्रतिवारित करने का कारण	आयुक्ति
1.	श्री अविनाश कुमार सिंह पुत्र श्री रामानुज प्रसाद सिंह,	10.08.1990	20.01.2015 से 19.01.2020 तक।	सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा-2012 के	सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा-2012 सहित

ग्राम- सरैया, पोस्ट- बरबिधा, थाना- जयरामपुर, शेखपुरा (बिहार), पिनकोड-811101			प्रथम प्रश्नपत्र के लीक होने की अफवाह फैलाकर परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए अभ्यर्थियों को उकसाया जाना।	आयोग से आयोजित की जानी वाली आगामी सभी परीक्षाएं।
--	--	--	--	--

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी०के० गोयल)  
प्रभारी सचिव।

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- (2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- (3) सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
- (4) सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
- (5) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
- (6) सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।
- (7) सचिव, हिमाचल लोक सेवा आयोग, शिमला।
- (8) सचिव, हरियाण लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।
- (9) सचिव, आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, हैदराबाद।
- (10) सचिव, आसाम लोक सेवा आयोग, गोहाटी।
- (11) सचिव, गुजरात लोक सेवा आयोग, अहमदाबाद।
- (12) सचिव, जम्मू एवं कश्मीर लोक सेवा आयोग, जम्मू।
- (13) सचिव, केरल लोक सेवा आयोग, तिरुअनंतपुरम।
- (14) सचिव, कर्नाटक लोक सेवा आयोग, बैंगलूरु।
- (15) सचिव, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुम्बई।
- (16) सचिव, मणिपुर लोक सेवा आयोग, इम्फाल।
- (17) सचिव, मेघालय लोक सेवा आयोग, शिलांग।
- (18) सचिव, नागालैंड लोक सेवा आयोग, कोहिमा।
- (19) सचिव, उड़ीसा लोक सेवा आयोग, कटक।
- (20) सचिव, पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला।
- (21) सचिव, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, चेन्नई।
- (22) सचिव, त्रिपुरा लोक सेवा आयोग, अगरतला।
- (23) सचिव, पं० बंगाल लोक सेवा आयोग, कोलकाता।
- (24) सचिव, सिक्किम लोक सेवा आयोग, गंगटोक।
- (25) सचिव, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, ईटानगर।
- (26) सचिव, गोवा लोक सेवा आयोग, पणजी।

(पी०के० गोयल)  
प्रभारी सचिव।